साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

भोपाल, सोमवार, 29 नवंबर 05 दिसंबर 2021, वर्ष-7, अंक-35

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

चौपाल से भोपाल तक

मध्यप्रदेश का पहला जिला होगा रतलाम, उत्पादन के कारण प्रसिद्ध रियावन का लहसुन

प्रदेश की लहसुन को मिलेगा जीआई टैग

रियावन प्रजाति के लहसुन को अब जीआई टैग मिलने जा रहा है। इससे रतलाम को एक नई पहचान मिलेगी। खास बात यह है कि लहसुन के मामले में यह उपलब्धि हासिल करने वाला प्रदेश का पहला जिला रतलाम होगा। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सत्यापन होगा और छह माह के अंदर जीआई टैग मिल जाएगा।

प्रमुख संवाददाता। भोपाल/रतलाम

यह लहसुन अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और बंपर उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। इसमें पदों की संख्या पांच-छह होती है। स्वाद तीखा और तेज होता है। अन्य लहसुन की अपेक्षा इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है। जीआई टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नया बाजार मिलने लगेगा। प्रदेश सरकार एक जिला उत्पाद के अंतर्गत रतलाम की लहसुन को प्रमोट कर रही है। देश में रियावन सिल्वर लहसुन के नाम से इसकी अच्छी मांग है। बीस साल से पिपलौदा तहसील के ग्राम रियावन में लहसुन की खेती परंपरागत तरीके से हो रही है। यहां से दूसरे गांवों के किसान बीज ले जाकर उसी तरीके से खेती कर अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। बीज विकास का मूल गांव रियावन ही माना जाता है। अलग गुणवत्ता, सफेदी पर्दा, कलियों का आकार और औषधीय गुणों के कारण इसकी अलग पहचान बनी है। भंडारण की क्षमता अधिक होने से इसे अधिक समय तक रखा जा सकता है।

एक नजर में स्थिति

खेती का रकबा	1500 हेक्टेयर
सालाना उत्पादन	1.50 क्विंटल
किसानों की खंख्या	700
एक हेक्टेयर में उत्पादन	90 से 100 क्विंटल
बीज के रुप में भाव	160 रुपए किलो
सामान्य भाव	80 से 100 रु किलो
खेत में तैयार होने की अवधि	120 से 135 दिन

700 किसान ले रहे उपज

रियावन गांव में 200 हेक्टेयर और बाकी गांवों में 1300 हेक्टेयर में खेती हो रही है। 700 से अधिक किसान उत्पादन ले रहे हैं। किसानों ने रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है, जिसके माध्यम से बीज, दवाई, मार्गदर्शन, विपणन आदि की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और अब जीआइ टैग प्राप्त करने जा रहे हैं।

रतलाम के रियावन लहसुन को जीआइ टैग दिलाने की प्रक्रिया में अब सिर्फ अंतिम निरीक्षण शेष है। इसके बाद जीआई टैग मिल जाएगा और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। जिले में रियावन लहसुन की खेती का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इसकी गुणवत्ता, उत्पादन और स्वाद में बीस सालों से स्थिरता है और औषधीय गुण उसी तरह बरकरार है, इसलिए यह लहसुन प्रसिद्ध है। प्रदेश का पहला जिला रतलाम होगा, जिसके लहसुन को जीआई टैग मिलेगा। **पीएस कनेल,** उपसंचालक उद्यानिकी विभाग, रतलाम

» अब क्रेता-बिक्रता के बयान ऑन लाइन दर्ज होंगे

» अविवादित नामांतरण के लंबित केस जल्दी निपटेंगे

» कृषि उपयोगी पट्टे की जमीन बेचने का होगा अधिकार

शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला

प्रदेश में बनेगी देश की पहली साइबर तहसील

प्रशासनिक संवाददाता। भोपाल

मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और किसानों के जमीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। यह निर्णय शिवराज कैबिनेट ने लिया गया है। राजस्व विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक हर दो जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। जिसमें पक्षकारों के बयान ऑन लाइन होंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, जहां साइबर तहसील का गठन किया जा रहा है। इसके लिए अलग से तहसीलदार नियुक्त किए जाएंगे। इस व्यवस्था में खरीदार और बेचने वाले को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन के बाद तहसीलदार नोटिस जारी करेंगे। आपत्ति नहीं आने पर नामांतरण कर दिया जाएगा। प्रदेश में जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए जमीन पट्टे पर दी गई है और स्वामित्व मिल चुका है, अब वे जमीन बेच सकेंगे। हालांकि विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से जमीन बेची जा सकती थी, लेकिन अब इसकी अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग ने मप्र भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में भेजा था। जिस पर चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है। इसे अब विधानसभा में पेश कर पारित कराया जाएगा।

अब मिलेगा जमीन बेचने का अधिकार

प्रस्ताव विधेयक के मुताबिक जिन लोगों को कृषि उपयोग के लिए सरकारी जमीन पट्टे पर दी गई है, इसका स्वामित्व मिले 10 साल हो गए हैं, उन्हें अब जमीन बेचने का अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए मप्र भू राजस्व संहिता में संशोधन करने के लिए कैबिनेट मंजूरी देगी। प्रस्ताव के मुताबिक जो व्यक्ति पट्टे की जमीन खरीदेगा, उसे बजार दर के हिसाब से 5त्न राशि सरकार के खजाने में जमा करना होगी। इसके अलावा, जो जमीन पहले बेच दी गई है, लेकिन उसे मान्यता नहीं दी गई है, उसका 5 प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा करके मान्य करा सकते हैं। इसके साथ ही, बंधक भूमि का उल्लेख भू-अभिलेख में किए जाने का प्रावधान भी किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए संबंधित बैंक या वित्तीय संस्था को आवेदन देना होगा।

सौर ऊर्जा खरीदेगी सरकार

प्रदेश के आगर, शाजापुर और नीमच जिले में प्रस्तावित सौर ऊर्जा पार्कों से उत्पादित सौर ऊर्जा में से एक हजार 307 मेगावॉट बिजली मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा खरीदी जाएगी। टेंडर प्रक्रिया से जो दर प्राप्त होगी, उसके आधार पर बिजली खरीदी जाएगी। क्रय की जाने वाली बिजली के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए सरकार तीसरी गारंटर बनेगी। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

राज्य कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया दावा

प्रदेश के नौ लाख किसान समर्थन में बेचेंगे धान

भोपाल। गेहूं और मूंग की रिकॉर्ड खरीदी के बाद राज्य सरकार धान खरीदी का भी रिकॉर्ड बनाने जा रही है। दरअसल इस साल नौ लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। सोमवार को प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी तक जारी रहेगी। जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए पंजीयन कराया है, वे एसएमएस आने पर पास स्थित खरीदी केंद्र में समर्थन मूल्य पर अपनी धान तुलवा सकते हैं। मंत्री ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश में इस बार 09 लाख से अधिक किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। सरकार द्वारा धान सामान्य का समर्थन मूल्य 1940 रुपए एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपए है। मोटे अनाज ज्वार एवं बाजरा की

खरीदी 22 नवंबर से प्रारंभ है जो कि 21 दिसंबर तक चलेगी। विगत वर्ष रबी सीजन में आज तक 62.77 लाख हेक्टेयर में बोवनी की गई थी, इस वर्ष 73.74 लाख हेक्टेयर में बोवनी की जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि गेहूं विगत वर्ष आज दिनांक तक 33.27 लाख हेक्टेयर इस वर्ष 38.5 लाख हेक्टयार है। जौ विगत वर्ष 43 हजार हेक्टयर है। इस वर्ष 48 हजार हेक्टयर है। इस प्रकार कुल अनाज विगत वर्ष 33.71 लाख हेक्यर में जबकि इस वर्ष 9.44 लाख हेक्टेयर में बोवनी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद की व्यवस्था को लेकर समीक्षा, निगरानी बढ़ाने के निर्देश

मप्र ने दिसंबर के लिए केंद्र सरकार से मांगा सात लाख टन यूरिया

कृषि मंत्री बोले-सहकारी समितियों से डिफाल्टर किसानों को नकद में दो खाद

विशेष संवाददाता। भोपाल

रबी फसलों के लिए यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सात लाख टन यूरिया दिसंबर में देने की मांग की है। साथ ही ढाई लाख टन डीएपी खाद भी मांगी गई है। प्रदेश के पास अभी ढाई लाख टन यूरिया और 90 हजार टन डीएपी उपलब्ध है। दो लाख टन सिंगल सुपर फास्फेट और 75 हजार टन एपीके का भंडार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को खाद की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर समीक्षा की और निर्देश दिए कि निगरानी बढ़ाई जाए। कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। उधर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने

कृषि और सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि डिफाल्टर किसानों को सहकारी समितियों से नकद में खाद दी जाए। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने यूरिया, डीएपी सहित अन्य खाद की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिसंबर के लिए यूरिया और डीएपी का मांग केंद्र सरकार से की है। इसमें सात लाख टन यूरिया और ढाई लाख टन डीएपी खाद मांगी गई है। पिछले साल दिसंबर में चार लाख टन यूरिया लगा था। कुछ हिस्सों में बोवनी का काम चलने के कारण डीएपी की मांग भी बनी हुई है। प्रतिदिन सात से आठ रेलवे रैक के माध्यम से खाद आ रही है। शनिवार को नौ रैक यूरिया आया था। 24 रैक यूरिया कंपनियों ने मध्य प्रदेश के लिए रवाना कर दिया है, जो जल्द ही विभिन्न जिलों में पहुंचेगा।

किसानों को नहीं होनी चाहिए खाद की कमी

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खाद की कमी नहीं आना चाहिए। इसके लिए नियमित निगरानी की जाए। कालाबाजारी किसी भी स्थिति में न हो पाए। जहां से भी इस तरह की शिकायतें मिलें, वहां सख्त कार्रवाई की जाए। केंद्रीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें और खाद की मांग करते रहें ताकि नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उधर, कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिफाल्टर किसानों को सहकारी समितियों से नकद में खाद उपलब्ध कराया जाए। दरअसल, सरकार ने जिले के भीतर खाद वितरण की व्यवस्था बनाने के अधिकार कलेक्टरों को दे दिए हैं। वे ही तय कर रहे हैं कि समितियों के माध्यम से कितनी खाद बिकेगी और निजी विक्रय केंद्रों से कितनी मात्रा में खाद बेची जाएगी।

विपणन समितियों की अनुपयोगी भूमि में बनाए जाएंगे भवन

पहली बार सहकारिता विभाग निजी सहभागिता से करेगा काम

प्रमुख संवाददाता। भोपाल

प्रदेश में सहकारिता विभाग पहली बार निजी सहभागिता से काम करेगा। विपणन सहकारी समितियों की अनुपयोगी भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन बनाए जाएंगे। साथ ही मांग के आधार पर व्यावसायिक सह आवासीय भवन भी बनाए जाएंगे। भवन निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता राज्य सहकारी आवास संघ को दी जाएगी। इसके बाद निजी सहभागिता के तहत एजेंसी का पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश में 282 विपणन सहकारी समितियां हैं। इनमें से 210 के पास दो से तीन एकड़ भूमि है, लेकिन समितियों की स्थिति अच्छी नहीं है। अधिकांश बैंकों की डिफाल्टर हैं इसलिए इनकी गतिविधियां भी ठप पड़ी हुई हैं। उधर, रायसेन जिले में उदयपुरा विपणन सहकारी समिति की भूमि विक्रय के मामले में अनियमितता सामने आ चुकी है। इसे देखते हुए सहकारिता विभाग ने निजी सहभागिता से समितियों की भूमि का उपयोग भवन निर्माण सहित अन्य गतिविधियों के लिए करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध

210 सहकारी समितियों के पास दो से तीन एकड़ भूमि उपलब्ध है। अधिकांश समितियों की भूमि ऐसी जगह पर है, जहां इनका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है। तय किया गया है कि पहले चरण में व्यावसायिक उपयोग के लिए भवन बनाए जाएंगे। आवास संघ अपने संसाधनों से जहां भवन बना सकेगा, वहां काम करेगा। अन्य स्थानों पर निजी सहभागिता से निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया जाएगा। इससे जो राशि प्राप्त होगी, उससे उपयोग समितियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

बनाए जा रहे गोदाम

उधर, सहकारिता विभाग प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भूमि पर गोदाम बनाने का काम भी कर रहा है। इसके लिए कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से समितियों को राशि भी उपलब्ध कराई गई है। गोदाम में किसान एक निश्चित शुल्क देकर अपनी उपज रख सकेंगे।

सरकार ने निजी सहभागिता से विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्ययोजना बनाई है। सभी विभागों से कहा गया है कि वे विभागीय बजट से इतर भी वित्तीय संसाधन की व्यवस्था करके अनुपयोगी भूमि का उपयोग सुनिश्चित करें। इसे ध्यान में रखते हुए विपणन सहकारी समितियों के पास उपलब्ध भूमि का उपयोग करने की योजना बनाई गई है।

अरविंद सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक, सहगारिता विभाग

-मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

प्रदेश में छह के बाद होगी पंचायत चुनाव की घोषणा

भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव छह दिसंबर के बाद कभी भी कराए जा सकते हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश लागू होने के बाद मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके तहत सिर्फ उन्हीं पंचायतों की मतदाता सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी, जो नया परिसीमन निरस्त करने से प्रभावित हुई हैं। फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन ग्राम पंचायत सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। दावे-आपत्ति का निराकरण करके छह दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो जाएगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन मतदाताओं की क्षेत्रवार पहचान कर लेंगे, जिनके नाम दूसरे मतदान केंद्रों की सूची में दर्ज किए जाने हैं। फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत स्थानों पर प्रकाशन होगा। तीन दिसंबर तक दावे-आपत्ति लिए जाएंगे और चार दिसंबर को इनका निराकरण किया जाएगा। छह नवंबर को फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इस बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आयोग को 2014 की स्थिति में आरक्षण सहित अन्य जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इसके आधार पर आयोग निर्वाचन कार्यक्रम तैयार करेगा।

-मार्केटिंग के लिए 24 से 28 दिसंबर तक होगा आयोजन

मटर की ब्रांडिंग के लिए जबलपुर में होगा मटर फेस्टिवल

संवाददाता। जबलपुर

जबलपुर में उत्पादित मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 24 से 28 दिसंबर तक शहर में मटर फेस्टिवल का आयोजन किया जायेगा। मटर फेस्टिवल के पहले दिन होटल कल्चुरी में होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायियों द्वारा स्टॉल लगाकर मटर से बने लजीज व्यंजन प्रदर्शित किए जाएंगे। इस दौरान मटर से बने व्यंजनों की ओपन प्रतियोगिता भी होगी जिसमें होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी तथा नागरिक भी शामिल हो सकेंगे। यह जानकारी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में हुई मटर फेस्टिवल के आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठकर में दी गई। उन्होंने बताया कि मटर फेस्टिवल के लिए माइक्रो लेवल पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में बताया गया कि मटर फेस्टिवल के पहले दिन होटल कल्चुरी में मटर से बने व्यंजनों को प्रदर्शित करने के अलावा फेस्टिवल के शेष दिनों में शहर में स्थित सभी होटल एवं रेस्टोरेंट अपने यहां मटर से बने व्यंजन ग्राहकों को परोसेंगे। इस दौरान होटल एवं रेस्टोरेंट में मटर फेस्टिवल के बैनर, पोस्टर लगाए जाएंगे। इसमें जबलपुरी मटर का लोगो लगा होगा। उन्होंने फेस्टिवल के पहले जबलपुरी मटर की बोवनी से लेकर उत्पादन, प्रसंस्करण, मार्केट एवं उपयोगिता लेकर ब्रोशर तैयार करने की जरूरत बताई।

ग्राहकों को मिलेगी छूट

बैठक में बताया गया कि मटर फेस्टिवल के दौरान होटलों में आने वाले ग्राहकों के लिए प्रतिदिन लकी ड्रा निकाले जाएंगे। इसके अलावा मटर फेस्टिवल के आयोजन के करीब दस दिन पहले से होटल व्यावसायियों द्वारा ग्राहकों को डिस्काउंट कूपन भी दिए जाएंगे। ये कूपन अगले सौ दिनों तक के लिए वैध रहेंगे। बैठक में बताया गया कि मटर फेस्टिवल में पहले दिन आयोजित ओपन प्रतियोगिता के मटर से बने लजीज व्यंजनों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

बाहर जाएगा जबलपुर का मटर

बैठक में जिला पंचायत की सीईओ रिजु बाफना, सीईओ स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत, उपसंचालक उद्यानिकी डॉ. नेहा पटेल, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य आदि मौजूद थे। बैठक में जिले में स्थित सभी कृषि उपज मंडियों के सचिवों को जबलपुर से बाहर जाने वाली मटर की हर बोरी पर जबलपुरी मटर का ट्रेडमार्क अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश गए। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए सभी सचिव मटर व्यापारियों की बैठक लें और उन्हें जबलपुरी मटर के ट्रेडमार्क लगी बोरियों में ही मटर बाहर भेजने के निर्देश दें।

मप्र की पहली एनिमल सरोगेसी से जन्मी गिर गाय के बच्चों ने भी दिया बछिया को जन्म

विशेष संवाददाता। भोपाल
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एनिमल सरोगेसी प्रोजेक्ट के तहत जन्मी आठ बछियों ने वयस्क होने के बाद कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। जो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हाल ही में सरोगेसी से जन्मी गिर नस्ल की गाय 311 ने बछिया और 305 ने बछड़े को जन्म दिया है। वहीं, छह गाय कभी भी बछिया या बछड़ों को जन्म दे सकती हैं। प्रदेश में सबसे पहले सरोगेसी से गाय श्यामा ने एक बछड़े को जन्म दिया था, जो अब पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होकर कई बछिया और बछड़े का पिता बनने वाला है। एनिमल सरोगेसी से देशी गायों ने 294 बछिया और बछड़ों को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रयास है कि सरोगेसी से जन्मी गाय हर दिन 40 से 50 लीटर तक दूध दे सके। प्रदेश में पहली बार सरोगेसी से जन्मी गाय ने यहां गिर नस्ल के एक जोड़े के अंश से 15 देशी गायों की सरोगेसी की गई थी। जिसमें मां जहां केवल दो लीटर ही दूध दे पाती थी। वहीं सरोगेसी से जन्मी बछिया अब 15 से 20 लीटर दूध दे रही है।

गिर गाय का बढ़ा कुनबा

- » **15 से 20 लीटर दूध:** भोपाल में 2015-16 में सात बछड़ों व 8 बछिया ने लिया था जन्म
- » सरोगेसी तकनीक से एक गाय से एक साल में ही चार-पांच बार भ्रूण तैयार किए जा रहे
- » गिर नस्ल की गाय के नाम पर 16 से 20 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड दर्ज
- » **उपलब्धि:** पशुपालक तय कर सकते हैं कि उन्हें बछड़ा चाहिए या बछिया

पैरेंटल हिस्ट्री पर नजर

निगम ने सबसे पहले बेस्ट ब्रीड की गिर नस्ल की गाय और सांड खरीदा। पैरेंटल हिस्ट्री पर नजर रख रहे हैं। गिर नस्ल की गाय के नाम पर 16 से 20 लीटर दूध देने का रिकॉर्ड दर्ज है। गिर नस्ल की गाय को अंडाणु बढ़ाने के लिए हारमोन थैरेपी दी गई। इसके बाद कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय में अंडाणुओं का फर्टिलाइजेशन कराया गया।

तय होगा बछिया या बछड़ा

निगम ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्रोमोसोम को अलग करने की तकनीक का सफल परीक्षण किया है। इसमें जेंडर तय करने वाले एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग कर दिया जाता है। इससे पशुपालक तय कर सकते हैं कि उन्हें बछड़ा चाहिए या बछिया।

प्रदेश में 2,14,40,694 गाय हैं। इसमें औसतन 2.24 लीटर प्रतिदिन गाय ही दूध देती हैं। एक गाय अपने जीवन में केवल 7 से 8 बार गर्भधारण करती, अब सरोगेसी तकनीक से एक बेस्ट ब्रीड की गाय से एक साल में ही चार से पांच बार भ्रूण तैयार किए जा रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान से अब तक साहीवाल, थारपारकर और राठी नस्ल के बछिया व बछड़े पैदा हो चुके हैं।

डॉ. एचबीएस भदौरिया,एमडी, मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम, भोपाल

2014-15 में भ्रूण प्रत्यारोपण का काम शुरू हुआ था। प्रदेश में पहली बार देशी गाय श्यामा सहित 15 गायों पर भ्रूण प्रत्यारोपण प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग किया था। श्यामा सहित 15 गायों ने वर्ष 2015-16 में केरवा स्थित मदर बुल फॉर्म में सात बछड़े और आठ बछियों को जन्म दिया था।

डॉ. आनंद सिंह कुशवाहा, मप्र राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम

अब पुशपालकों के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान से बढ़ जाएगा दूध, राज्य सरकार का मादा पशुओं पर फोकस

ग्वालियर में गाय देगी बछिया और भैंस पड़िया को जन्म!

इधर, प्रदेश ग्वालियर-चंबल अंचल में पशु चिकित्सा विभाग ने गाय और भैंसों के लिए नई सेक्स सार्टेड सीमन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सीमन से गाय से बछिया और भैंस से पड़िया पैदा होने की संभावना 90 फीसद हो जाती है। पशुपालक इस सुविधा का लाभ जिला व ब्लॉक स्तर पर सशुल्क ले सकते हैं। इसकी कीमत करीब 1500 रुपए है, लेकिन सामान्य व पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 450 रुपए और अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को सिर्फ 400 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। पशु पालक विभाग के अधिकारी का कहना है सेक्स सार्टेड सीमन की खूबी यह है कि इससे कृत्रिम गर्भाधान कराने पर 90 फीसद संभावना बछिया या पड़िया पैदा होने की रहती है। सीमन के उपयोग से एक ओर दूध की उत्पादकता बढ़ने से पशुपालकों की आय बढ़ेगी। वहीं कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नर और मादा पैदा होने के अनुपात को 50-50 फीसद की बजाए मादा 90 और नर 10 फीसद तक की जा सकेगी। मादा गौवंशीय और भैंसवंशीय की संख्या बढ़ने से दूध का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। साथ ही बैल-सांड और पड़े की बढ़ती संख्या भी नियंत्रण में रहेगी। बीते एक माह से जिला एवं ब्लॉक स्तर पर मांग के अनुसार पशुपालकों को यह सीमन उपलब्ध कराया जा रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार का फोकस है कि किसानी के साथ पशुपालक भी आत्मनिर्भर हों। उनकी भी आय बढ़े।

- » जिले में सेक्स सार्टेड सीमन की सुविधा उपलब्ध कराई
- » नए सीमन से मादा पैदा होने की संभावना 90 प्रतिशत
- » बछिया पैदा करने 400 में मिलेगा सेक्स सार्टेड सीमन

मादा पशुओं की उपलब्धता, लक्ष्य और मांग

जिला	मादा पशु	लक्ष्य	मांग
अशोकनगर	2.2 लाख	2345	40
भिंड	2.93 लाख	5881	200
दतिया	2.11 लाख	1862	200
गुना	3.11 लाख	695	400
ग्वालियर	2.29 लाख	4886	20
मुरैना	4.09 लाख	7427	550
श्योपुर	2.27 लाख	2132	200
शिवपुरी	3.73 लाख	7009	440

देश में सिर्फ तीन स्थानों पर लैब

ग्वालियर पशु विभाग के अधिकारियों का कहना है जिला व ब्लॉक स्तर पर सीमन की उपलब्धता कराई जा रही है। सीमन की उपलब्धता पशुपालकों की मांग पर कराई जा रही है। भोपाल में स्थित केंद्रीय वीर्य संस्थान में क्रोमोजोम्स सैपरेशन किया जाता है। वहीं से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मांग के अनुसार सीमन उपलब्ध कराया जाता है। यह लैब भोपाल में एक साल पहले ही चालू हुई है। इससे पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी लैब खुल चुकी है। देश में सिर्फ तीन स्थानों पर ही यह लैब है।

ग्वालियर में 4886 पशुओं के गर्भधारण का लक्ष्य

ग्वालियर में भैंसवंश में भदावरी और मुर्रा नस्ल की उपलब्धता है। इनमें 2954 पुशों को सेक्स सार्टेड सीमन देने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। वहीं गायों में गिर, साहिवाल की नस्ल मौजूद है। इसके अलावा कुछ जर्सी और एचएस नस्ल की गाय भी मौजूद हैं। इनमें 1871 पशुओं को सीमन के जरिए गर्भधारण का लक्ष्य रखा गया।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो और नर जानवरों में कमी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने सेक्स सार्टेड सीमन से पशुओं का गर्भधारण कराने का लक्ष्य है। इस सीमन के उपयोग से 90 फीसद मादा पुश जन्म लेते हैं। यह सुविधा कम शुल्क में जिला व ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई है। गांव में रहने वाला कोई पशुपालक इस सुविधा का लाभ लेना चाहता हैं तो वह पशु चिकित्सालय या डायरेक्ट्रेट ऑफिस में संपर्क कर लाभ ले सकता है।

डॉ. अशोक तोमर, ज्वाइंट डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, ग्वालियर

देश में पशुचारे का संकट और समाधान

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी (म.प्र.)

भारत के मात्र दो प्रतिशत भू-भाग पर विश्व की 30 प्रतिशत पशु आबादी निर्भर है। वर्तमान में देश में कुल 535.78 मिलियन पशुधन हैं। वर्ष 2012 से लेकर 2019 के बीच पशुधन में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। चारा उत्पादन के लिए देश की कुल खेती योग्य भूमि में से मात्र 4 प्रतिशत पर ही चारा उत्पादन किया जा रहा है। जबकि वर्तमान में 14 से 17 प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारा उगाने की जरूरत है। पशुओं की संख्या के अनुसार चारे की मांग और उपलब्धता में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ष 2025 तक देश के पशुओं के लिए सूखे चारे की 23 प्रतिशत और हरे चारे की 39 प्रतिशत एवं दाना मिश्रण की 38 प्रतिशत तक कमी हो जाएगी।

उत्तर भारत देश में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में दुग्ध उत्पादन की बढ़ती लागत से परेशान पशुपालक इस वर्ष चारे के संकट से जूझ रहे हैं। दुधारू पशुओं का पेट भरने के लिए सूखा चारा अर्थात भूसा की कमी पूरे उत्तर भारत में व्यापक पैमाने पर दिखाई दे रही है। जिस कीमत परक भी पशुपालकों को गेहूं का भूसा आसानी से मिल जाता था, उस कीमत पर डेयरी संचालकों को धान का पुआल खरीदकर खिलाना पड़ रहा है। मुफ्त में मिलने वाला धान का पुआल जो कि सर्दियों में पशुओं के नीचे बिछावन और आग जलाकर पशु शालाओं को गर्म करने के काम आता था। पशुपालकों को मजबूरी में महंगी कीमत पर खरीदकर अपने पशुओं को खिलाना पड़ रहा है। जबकि वैज्ञानिकों के अनुसार धान का पुआल दुधारू पशुओं को खिलाने से उनका दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यो ंमें आज गेहूं के भूसा की कीमतें 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहीं हैं। धान का पुआल, सोयाबीन का भूसा, बाजरा की कर्बी आदि की कीमतें भी 500 से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई हैं। अत्यधिक महंगा भूसा एवं पशु राशन खरीदने के कारण दुग्ध उत्पादन पर आने वाली लागत बहुत अधिक बढ़ चुकी है। उसके अनुपात में ग्रामीण अंचलों में दूध कीमतें नहीं मिल पा रहीं हैं। इस वर्ष मौसम के उतार-चढ़ाव के चलते सूखा, बाढ़, अतिवृष्टि आदि जलवायु कारणों से पूरे देश में खेती-किसानी से लेकर फसलों तक पर प्रतिकूल असर पड़ा है। यही कारण है कि इस वर्ष सूखे चारे का संकट कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है। देश के 87 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं इस कारण चारा उत्पादन करने की सीमाएं हैं। देश के कई क्षेत्रों में पानी की भी अत्यधिक कमी हैं। शहरी तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में अधिकांश पशुपालक बिना जमीन वाले हैं। इसलिए यह चाहकर भी हरा चारा उगाने में असमर्थ हैं। पशुओं के दैनिक आहार की पूर्ति के लिए 1/3 भाग राशन तथा 2/3 भाग सूखे और हरे चारे की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भागों में हरे चारे की उपलब्धता पहले से ही काफी कम है। देश के अधिकांश भागों में पशुओं के आहार के लिए सूखे चारे को ही प्रयोग में लाया जाता है। सूखा चारा पशुओं का पेट भरने के लिए आवश्यक होता है। दाना, खली, चोकर, खनिज लवण आदि से ऊर्जा की प्राप्ति होती जिससे दुग्ध उत्पादन, गर्भ के विकास, वृद्धि तथा कार्य करने की क्षमता पशुओं को प्राप्त होती है। मुख्य तौर पर सूखा चारा ही पशुओं का पेट भरने के काम आता है। वर्तमान में पशु राशन के साथ ही सूखे चारे गेहूं के भूसा की कीमतें आसमान छू रहीं हैं। सूखे चारे की बढ़ती कीमतों के कारण दुधारू पशुओं का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। उत्तर भारत में डेयरी

पशुओं को सूखे चारे के रूप में प्रमुखता से गेहूं का भूसा खिलाया जाता है। पिछले कुछ दशकों से गेहूं के भूसा की बढ़ती कीमतों के कारण जिन क्षेत्रों में बाजरा, मक्का, सोयाबीन, धान आदि की खेती ज्यादा होती है वहां इन फसलों की कर्बी, भूसा तथा पुआल को पशु पालकों द्वारा खिलाया जाता है। इस वर्ष बरसात की शुरुआत में मानसून की देरी तथा बाद में अतिवृष्टि के कारण बाजरा, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जिनसे कर्बी-भूसा बहुत कम प्राप्त हो सका है। दूसरी तरफ गेहूं के भूसा की कमी का एक प्रमुख कारण हार्वेस्टर द्वारा फसल की कटाई-गहाई कराया जाना हैं। हार्वेस्टर से कटिंग कराने के कारण खेत से आधा ही भूसा प्राप्त हो पाता है। जबकि थ्रैसिंग के दौरान हाथ से गेहूं की कटाई करायी जाती है। जिस में अनाज उत्पादन के बराबर से ज्यादा भूसा मिल जाता है। गर्मियों में गेहूं की फसल कटाई के दौरान मजदूरों की कमी होती जार ही है। इसके पीछे सरकारों द्वारा दिया जा रहा राशन और मनरेगा जैसी योजनाओं का योगदान भी कुछ कम नहीं है। दूसरी तरफसोयाबीन, उड़द, चना, मसूर आदि का भूसा ईट भट्टा वाले ले जाते हैं जो कि कुछ मात्रा में सूखे चारे के विकल्प के रूप में काम आता है।

उत्तर भारत में पहले गावं-गांव सामूहिक रूप से सभी किसान मिलकर एक दूसरे के लिए पूरे वर्ष की भूसा की आवश्यकता के लिए सरकंडे, फूस, अरहर की लकड़ी आदि से बुर्झी का निमार्ण करके उसमें भूसा भंडारण कर लेते थे। आज आधुनिकता के कारण सामुदायिकता की भावना का पूरी तरह से लोप हो चुका है। मेहनत का काम होने के कारण मजदूर बुर्झी बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण गांवों में भूसा भंडारण का परंपरागत तरीका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उत्तर भारत के राज्यों में सूखे चारे के अभाव का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। फसल के समय पर व्यापारी सस्ता भूसा खरीदकर जमा कर लेते हैं। बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद जब हरा चारा समाप्त हो जाता है तब वह मनमानी ऊंची कीमतों पर बिक्री कर के लाभ कमाते हैं। इसके चलते डेयरी व्यवसाय करने वाले पशुपालक भूसा के संकट से जूझने को विवश होते हैं। भारत में पायी जाने वाली विश्व की सर्वाधिक पशु संख्या का पेट भरने के साथ ज्यादा और सस्ता दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए चारे के संकट का हमेशा के लिए हल निकालना होगा। इसके लिए सरकारों, वैज्ञानिकों से लेकर पशुपालक-किसानों को मिलकर पहल करनी होगी। हमें चारे के अधिक से अधिक वैकल्पिकता तलाशने होंगे। वर्ष पर्यन्त एवं प्रत्येक सीजन में हरे चारे की उपलब्धता बढ़ानी होगी। शहजन, सूबबूल, चारे के लिए उपयोगी पेड़ों की पत्तियां, नैपियर घास, हाइब्रि डनेपियर बाजरा जैसे हरा चारा विकल्पों पर काम करना होगा। सस्ते एवं सर्व सुलभ चारा बीजों की उपलब्धता की दिशा में और अधिक तेजी से काम करने की जरूरत है। बरसीम, जई, ज्वार, बहुकटिंग चरी, एमपी चरी, चारे वाला लोबिया, मकचरी, ग्वार, बाजरा, मक्का, मक्खन घास, हाथी घास, पेरा घास आदि के साथ चारागाहों की उपलब्धता भी बढ़ानी होगी। सिल्वी पाच्चर एवं होटी पजचर मॉडल को अपनाना होगा। गैर कृषि योग्य भूमि चारा उगाने के लिए उपयोग में लानी होगी। वर्तमान में सूखे चारे की कमी को कम करने एवं चारा बीजों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए चारा बैंक एवं चारा बीज बैंक जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना होगा। इस दिशा में सरकारों, वैज्ञानिकों एव किसान-पशुपालकों द्वारा किए गये सार्थक प्रयास ही चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करन ेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कृषि सुधारों के साथ अन्य आर्थिक सुधारों का भविष्य

कृषि कानूनों की वापसी के मसौदे पर कैबिनेट की मुहर यही बताती है कि मोदी सरकार अपने वायदे को पूरा करने के लिए तत्पर है। इन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर कृषि सुधारों के साथ अन्य आर्थिक सुधारों का भविष्य क्या है। इस सवाल का सकारात्मक जवाब सामने आना चाहिए-न केवल सत्तापक्ष की ओर से, बल्कि विपक्ष की ओर से भी, जिसने अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को पूरा करने की जिद में मुट्ठी भर किसान संगठनों के साथ मिलकर किसान हितों की बलि ले ली। विपक्ष को यह आभास जितनी जल्दी हो जाए, उतना ही अच्छा कि उसने अपनी सस्ती राजनीति से देश और विशेष रूप से उन किसानों का अहित ही किया, जिनका वह हितैषी होने का दावा कर रहा है। विपक्षी दलों को इसका भी भान होना चाहिए कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से वह यकायक मुद्दाविहीन हो गया है। यदि विपक्षी दल अभी भी आंदोलनरत किसान संगठनों को उकसाते रहते हैं तो इससे वे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते ही नजर आएंगे। यह सही समय है कि वे किसान संगठन, सामाजिक एवं आर्थिक समूह और राजनीतिक दल आगे आएं, जो कृषि कानूनों को सही मान रहे। सुधारों को लेकर जैसी नकारात्मक राजनीति देखने को मिल रही है, उसे देखते हुए ऐसा करना और इस क्रम में सही एवं गलत के प्रति आवाज उठाना आवश्यक हो गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो कल को अन्य सुधारों के प्रति भी वैसा ही अतार्किक विरोध देखने को मिल सकता है, जैसा कृषि कानूनों के मामले में देखने को मिला। नि:संदेह यह भी समय की मांग है कि कृषि कानूनों की समीक्षा करने वाली समिति की जो रपट सुप्रीम कोर्ट के पास है, वह सार्वजनिक की जाए, ताकि इन कानूनों पर नए सिरे से बहस हो सके। इसके साथ ही इस सवाल का जवाब भी सामने आना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की समीक्षा पर विचार क्यों नहीं किया। यदि यह काम किया गया होता तो शायद जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी, उससे बचा जा सकता था। जो भी हो, मोदी सरकार को संसद के आगामी सत्र में यह प्रदर्शित करना होगा कि वह अपने सुधारवादी एजेंडे पर न केवल कायम है, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती रहेगी। सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय देना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद यह अंदेशा उभर आया है कि कहीं अन्य सुधारों का रास्ता भी तो बाधित नहीं हो जाएगा। मोदी सरकार को इस संशय को दृढ़ता के साथ दूर करना होगा। इसके लिए सुधारों के सिलसिले को कायम रखना जरूरी है।

अनाज खरीद में अपनी सामर्थ्य से अधिक सरकार दे रही सब्सिडी

किसान संगठनों की यह मांग मानने में हर्ज नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर गठित होने वाली समिति में उनकी भी भागीदारी हो, लेकिन यदि वे यह जिद पकड़ेंगे कि एमएसपी पर गारंटी कानून बने तो इसे पूरा करना संभव नहीं। नि:संदेह यह कहने-सुनने में अच्छा लगता है कि कृषि उपज की खरीद एमएसपी कानून के तहत हो, लेकिन इसे कोई सरकार चाहकर भी अमल में नहीं ला सकती। कोई भी सरकार हो, वह न तो किसानों की पूरी उपज खरीद सकती है और न ही एमएसपी खरीद का गारंटी कानून बनाकर निजी व्यापारियों को इसके लिए मजबूर कर सकती है कि वे तय दाम पर ही कृषि उपज खरीदें। निजी व्यापारी ऐसा करके घाटा उठाने के बजाय अनाज का आयात करना पसंद करेंगे। वैसे भी दुनिया के अन्य देशों में अन्न के दाम लगातार कम हो रहे हैं। साफ है कि एमएसपी पर जैसे कानून की मांग की जा रही है, उससे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। कानून बन भी जाए तो सरकार पूरा अनाज खरीद पाने में सक्षम नहीं होगी और निजी व्यापारी उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आएंगे। अंतत: नुकसान किसानों का ही होगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि किसान फसल चक्र में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं। वे जरूरत से ज्यादा गेहूं और धान की पैदावार कर रहे हैं। देश के पास इतना अधिक चावल है, जो पूरी दुनिया को खिलाने के लिए पर्याप्त है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे किसान नेताओं को यह भी समझना होगा कि सरकार पहले से ही जरूरत से ज्यादा अनाज की खरीदारी करने को मजबूर है। जब सरकारी खरीद से अनाज के गोदाम भरे पड़े हों, तब सरकार के लिए बिना जरूरत अन्न की खरीदारी संभव नहीं। यदि वह बेहिसाब अनाज खरीदने के लिए विवश हो जाएगी, तो फिर उसके पास न तो अन्य किसी सब्सिडी के लिए पैसा बचेगा और न ही विकास के कामों के लिए। सरकार पहले ही अनाज खरीद में अपनी सामर्थ्य से अधिक सब्सिडी दे रही है। जब अन्न खरीद की मौजूदा सब्सिडी पर ही विश्व व्यापार संगठन को आपत्ति है, तब फिर यदि किसी मजबूरी में उसे बढ़ा भी दिया जाए, तो अनाज का निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा। किसान नेता पहले ही अपनी जिद से 86 प्रतिशत किसानों के हितों की बलि ले चुके हैं। अब उन्हें जमीनी हकीकत को समझकर विवेकपूर्ण फैसला करना होगा। वे न तो बाजार के नियमों की अनदेखी कर सकते हैं और न ही इस तथ्य की कि किसी भी उत्पाद के अच्छे दाम तभी मिलते हैं, जब बाजार में उसकी मांग होती है।

टीकमगढ़ के कृषि वैज्ञानिक किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे

पहली बार जीरो टिलेज तकनीक से की गई सीधे गेहूं की बोवनी

-खेत में नमी होने पर अंकुरण के लिए सिंचाई की भी जरूरत नहीं

संवाददाता। टीकमगढ़

देशभर में सूखे के लिए चर्चित बुंदेलखंड में नई तकनीकी से खेती की शुरुआत हो चुकी है। यही नहीं, यहां के किसानों को आत्मनिर्भर और कम खर्च में आय बढ़ाने की कवायद में टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक जुटे हैं।

दरअसल, कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा पहली बार किसानों के खेतों में बगैर जुताई के जीरो टीलेज मशीन से सीधी गेहं की बोवनी की गई। जिन गांवों में बोवनी की गई है, उसमें कौड़िया, हसगौरा, बटवाह शामिल हैं। यहां पांच किसानों के खेतों पर सिमिट संस्था के पायलेट परियोजना के तहत प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. यूएस धाकड़ और जयपाल छिगारहा द्वारा प्रदर्शन क्रियान्वित कर किसानों को समझाया गया।

इस प्रदर्शन में श्री राम कंपनी की गेहूं की किस्म सुपर-303 के प्रदर्शन डाले गए हैं। जीरो टिलेज तकनीक के अंतर्गत खरीफ फसल की कटाई के बाद खेत की बिना जुताई कर सीधे मशीन द्वारा बोवनी की जाती है। इससे किसान की जुताइयों का खर्चा बच जाता है।

सिंचाई का बचेगा पानी

यदि खेत में नमी है तो फिर अंकुरण के लिए सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अन्यथा एक हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। जलवायु समुत्थानशील कृषि परियोजना का उद्देश्य है कि खेती में पानी बचत तकनीक को ही बढ़ावा देना है, जिससे कम पानी में ज्यादा क्षेत्रफल में रबी एवं जायद फसलें ली जा सके।

उत्पादन पर फोकस

सिमिट संस्था द्वारा बुंदेलखंड क्षेत्रों में जिले की प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने एवं व्यय कम करने पर पायलेट परियोजना के तहत डॉ. रबी, प्रमुख वैज्ञानिक, सिमिट एवं डॉ. एसएस सिंह संचालक विस्तार, रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विवि झांसी के सौजन्य से गेहूं प्रदर्शन 5 किसानों के खेतों पर डॉ. आरके प्रजापति नोडल वैज्ञानिक द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

-अशोकनगर का एक जिला-एक उत्पाद में टमाटर का चयन

खेत तक पहुंचेगी अब कोल्ड चेन

» पोर्टल पर होगी कुंडली, व्यापारी सीधे करेंगे किसानों से संपर्क

संवाददाता। अशोकनगर

उद्यानिकी के तहत अशोकनगर जिले से टमाटर का चयन एक जिला एक उत्पाद के लिए हुआ है। अब तक किसानों को सीधा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब पोर्टल पर पूरी जानकारी रहेगी कि किस जिले में कौन सा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इससे व्यापारी सीधे किसान से जुड़ेंगे। साथ ही अब नीदरलैंड के बीज का उपयोग मप्र में टमाटर की फसल तैयार करने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सरकार अब किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी। हाल ही में इस संदर्भ में उद्यानिकी ने किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। मुख्य अतिथि प्रदेश के उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा अशोकनगर में टमाटर की फसल का चयन एक जिला एक उत्पाद के तहत हुआ है। उन्होंने बताया कि नीदरलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल आया था तब उससे मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया था कि यहां और नीदरलैंड के उत्पादन में काफी अंतर है। यहां लागत ज्यादा है, इनकम कम है। जबकि वहां की जो पद्धति है उसके अनुसार किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार अब वहां की वैराएटी का बीज किसानों को यहां उपलब्ध कराएगी जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद डॉ. केपी यादव ने की। विशिष्ट अतिथि जजपाल सिंह रहे।

खेत तक पहुंचेगी चेन

मंत्री ने कहा शिवराज सरकार ने अब तय किया है कि कोल्ड चेन जो जिला स्तर पर बनाए जाते थे, भंडारण की व्यवस्था जिला स्तर पर होती थी, बाजार की जगह किसान के खेत तक इस चेन को बढ़ाएंगे। छोटे-छोटे कोल्ड स्टोर किसानों के फॉर्म हाउस पर निर्मित कर सकते हैं। कच्चे उत्पादन को मंडी लाने से पहले उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। 35 से 50 फीसदी तक सब्सिडी सरकार देगी। जो मांग किसान प्रशिक्षण केंद्र की विधायक व सांसद ने उठाई है उसे एक हफ्ते में पूरा करेंगे।

बोरी का झंझट खत्म, एक बोतल यूरिया से हो जाएगा काम!

भोपाल। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि अब यूरिया की जगह नैनो यूरिया आ गया है। जिससे एक बोरी की जगह एक बोतल यूरिया से ही किसानों का काम हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि डीएपी खाद भी नैनों में आएगा, इससे किसानों को फायदा होगा। अब ड्रोन के जरिए फसलों पर दवाओं का छिड़काव हो सकेगा। यह सस्ता भी होगा और इससे काम भी तेजी से होगा। अनुसूचित जाति जनजातीय वर्ग के छोटे किसानों को मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया जाएगा। किसानों को स्थायी बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे और मुफ्त बिजली भी दी जाएगी।

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड ने नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित नैनो यूरिया का निर्माण किया है। खेतों से हो रहे पोषक तत्वों के नुकसान से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को नैनो यूरिया के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। देश के किसानों द्वारा बड़ी मात्रा में खेती में यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है और बीते कुछ सालों में इसमें काफी बढ़ोत्तरी हुई है। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रस ऑक्साइड नामक ग्रीनहाउस गैस भी बनती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। नैनो यूरिया लिक्विड होता है और यह उच्च पोषक तत्वों वाला अनोखा उर्वरक है, जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद कर सकता है। इफ्को के गुजरात के कलोल स्थित नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में यह तकनीक विकसित की गई है और अब इफ्को की कई इकाईयों में नैनो यूरिया का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी योजना है कि साल 2023 तक 1.37 करोड़ मीट्रिक टन यूरिया की जगह नैनो यूरिया की 32 करोड़ बोतलें ले लेंगी। इससे किसानों को भी काफी फायदा होगा। डीएपी खाद को भी नैनो रूप में लाने की तैयारी की जा रही है। नैनो रूप में आने के बाद किसानों के लिए इन खादों की ढुलाई का खर्चा बचेगा और पर्यावरण को भी इससे काफी फायदा होगा।

पहले यूकेनिप्टिस के पेड़ों को काटा जाएगा फिर पौधरोपण

अमरकंटक में लोगों की आय बढ़ाने रोपे जाएंगे औषधीय पौधे

सीएम शिवराज के निर्देश के तैयारियां तेज

संवाददाता। अनूपपुर

मध्य प्रदेश सरकार ने जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार जनजातीय बहुल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में यूकेलिप्टिस के जंगल को काटकर स्थानीय प्रजाति (खासकर औषधीय) पौधे लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वन विभाग भारतीय वानकीय अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद से अध्ययन कराएगा। विभाग ने इस संबंध में परिषद को पत्र लिख दिया है। अमरकंटक में जिस भूमि पर स्थानीय प्रजाति के पौधे लगाए जाने हैं वह दलदलीय भूमि है और उसमें यूकेलिप्टिस का जंगल खड़ा है। इसमें से करीब साढ़े सात हजार पेड़ काटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब दो माह पहले अमरकंटक के दौरे पर थे। तब उनकी स्थानीय व्यक्तियों से चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि यूकेलिप्टिस के जंगल से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसे काटकर दूसरी प्रजाति के पौधे लगाए जाएं ताकि हमें आर्थिक मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा था। विभाग ने यूकेलिप्टिस पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है और परिषद का शोध पूरा होते ही उसके प्रतिवेदन के आधार पर स्थानीय औषधीय प्रजाति के पौधे इस भूमि पर लगाए जाएंगे।

यूकेलिप्टिस का जंगल था तैयार

प्रदेश के दूसरे स्थानों की तुलना में अमरकंटक में तापमान कम रहता है, इसलिए औषधीय उपयोग के पौधे लगाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 40 साल पहले मेकल पर्वत श्रृंखला की तराई वाले इस क्षेत्र में यूकेलिप्टिस का जंगल तैयार किया था। तब यही एक मात्र विकल्प था, क्योंकि दूसरे पौधों को इतने पानी की जरूरत नहीं होती है और इस क्षेत्र में सात महीने पानी भरा रहता है। इस कारण अन्य पौधों की जड़ें सड़ जाती थीं। वे खराब हो जाते थे।

पौधों का किया जाएगा चयन

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब पौधों की नई प्रजातियां आ गई हैं। ऐसे ही दूसरे स्थान पर पैदा होने वाले पौधों को अन्य स्थानों पर लगाया जा रहा है, इसलिए यहां दूसरी प्रजाति के पौधे लगाना मुश्किल नहीं है। अध्ययन भी इसीलिए कराया जा रहा है ताकि भूमि के हिसाब से पौधों का चयन किया जा सके।

कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के शासन काल में हुआ था परिसीमन, श्योपुर में बनीं थीं नई ग्राम पंचायत

पंचायतों का परिसीमन रद्द, पुरानी पंचायतों में मर्ज होंगी श्योपुर की 4 नई ग्राम पंचायत

» कांग्रेस ने कहा-पंचायत परिसीमन निरस्ती से प्रभावित होगा गांवों का विकास

» भाजपा बोली-सरकार ने सभी गुण-दोषों को ध्यान रखकर लिया निर्णय

खेमराज मौर्य, शिवपुरी/श्योपुर

दो साल पहले श्योपुर जिले में बनी चार नई ग्राम पंचायतें अब फिर से पुरानी ग्राम पंचायतों में मर्ज हो जाएंगी। ऐसा इसलिए कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने दो साल पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के शासनकाल में हुए पंचायतों के परिसीमन को रद्द कर दिया है। परिसीमन रद्द होने से श्योपुर जिले में 225 ग्राम पंचायतों में ही चुनाव होगा। नई पंचायतों में शामिल हुए ग्रामीण अब पहले की तरह पुरानी पंचायतों में सरपंच चुने जाने के लिए मतदान करेंगे।

प्रदेश में पंचायत परिसीमन के निरस्त किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि भाजपा गांवों के विकास की विरोधी है, इसलिए उसने पंचायत परिसीमन को निरस्त किया है। परिसीमन के निरस्त होने से गांवों का विकास प्रभावित होगा। वहीं भाजपा ने कहा कि पंचायत परिसीमन से विकास प्रभावित होने जैसी बातें आधारहीन हैं। भाजपा सरकार ने पंचायत परिसीमन निरस्ती का निर्णय सभी गुण दोषों को ध्यान रखकर लिया है। यहां बता दें कि वर्ष 2019 में पंचायतों का परिसीमन हुआ था, इस परिसीमन के दौरान श्योपुर जिले में चार नई ग्राम पंचायतें बनाई गई थीं। श्योपुर ब्लॉक में जहां एक नई ग्राम पंचायत गठित हुई थीं, वहीं विजयपुर ब्लॉक में तीन नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। चार नई ग्राम पंचायतों का गठन होने से श्योपुर जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 225 से बढ़कर 229 हो गई। बताया गया है कि परिसीमन होने के बाद दो साल बाद तक पंचायतों में सरपंच का चुनाव नहीं कराए जा सके। अब सरकार ने उक्त परिसीमन को निरस्त कर दिया है। जिस कारण नई बनी चारों ग्राम पंचायतों को फिर से पुरानी पंचायतों में मर्ज किए जाने के आदेश शासन की ओर से दिए गए है। इस संबंध में सरकार ने सभी जिला पंचायतों से जानकारी मांगी गई है और पूछा गया है कि पहले पंचायतों के वार्डो में कैसा आरक्षण था, अभी आरक्षण में क्या अंतर आया है। इसके अलावा अन्य बिंदुओं को लेकर भी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में अभी कोई नया आदेश नहीं आया है।

श्योपुर में ये ग्राम पंचायतें बनीं थीं नई

सितंबर 2019 में पंचायत परिसीमन के दौरान श्योपुर जिले में 4 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। श्योपुर जनपद पंचायत में जहां ग्राम पंचायत ढोढर से विभाजित करते हुए खोजीपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाया गया था। वहीं जनपद पंचायत विजयपुर में देवरी, सुखवास और सिरोनी को नई ग्राम पंचायत बनाया गया था। अब पंचायत परिसीमन निरस्त हो गया है, इसलिए ये सभी चारों नव गठित ग्राम पंचायतें अपनी पुरानी पंचायतों में मर्ज हो गई है।

नहीं हो पाया था नगर पालिका का परिसीमन

जिले में नगर पालिका परिषद श्योपुर का परिसीमन भी प्रस्तावित था, इसके लिए आसपास की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों को नगरीय सीमा में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया था, मगर इस प्रस्ताव को शासन की ओर से निरस्त कर दिया गया।

कहीं खुशी तो कहीं मायूसी

ग्राम पंचायतों का परिसीमन रद्द होने से नई बनी ग्राम पंचायतें पुरानी पंचायतों में मर्ज हो गई हैं। इसको लेकर जिले में कई खुशी तो कई मायूसी देखी जा रही है। ग्राम पंचायत ढोढर से विभाजित कर नई ग्राम पंचायत बनाई खोजीपुरा अब फिर से ढोढर पंचायत में मर्ज हो गई है। खोजीपुरा के ढोढर पंचायत में मर्ज होने पर ढोढर क्षेत्र की जनपद सदस्य राजकुमारी गोयल ने खुशी व्यक्त की है। उनका कहना है कि खोजीपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाना व्यवहारिक नहीं था, इससे ग्राम पंचायत ढोढर का विकास अवरुद्ध होता, लेकिन अब ग्राम पंचायत ढोढर के नगर परिषद बनने का रास्ता खुलेगा। उधर, विजयपुर क्षेत्र की नवीन ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों में मायूसी दिख रही है। उनका कहना है कि पहली बार अपनी खुद की पंचायत के लिए सरपंच चुनने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब यह उम्मीद धूमिल हो गई है। जबकि उन ग्रामीण नेताओं को काफी सदमा पहुंचा है, जो इन पंचायतों में सरपंच का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे थे।

पंचायतों का परिसीमन निरस्त हो गया है। इस संबंध में शासन की ओर से जो जानकारी मांगी थी, वह भेज दी गई है। अब शासन की ओर से जो आदेश दिए जाएंगे,उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिवम वर्मा, कलेक्टर,श्योपुर

गांवों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन जरूरी था। क्योंकि आबादी का विस्तार हो रहा है। इसलिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पंचायतों का परिसीमन कराया था, मगर भाजपा विकास विरोधी है। भाजपा को हर चुनाव में हार का डर सता रहा है, हार के डर से भाजपा सरकार पंचायत चुनाव भी नहीं कराना चाहती है और चुनावों को टालने के लिए पंचायत परिसीमन रद्द करने जैसे कई बेतुके निर्णय ले रही है।

रितेश तोमर, कांग्रेस नेता

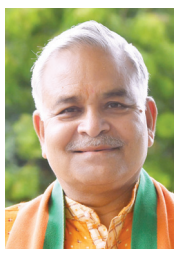

हमारी राज्य सरकार ने पंचायत परिसीमन निरस्ती का जो निर्णय लिया है, वह सभी गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए लिया है। इससे विकास अवरुद्ध होने जैसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि भाजपा विकास कराने वाली पार्टी है। भाजपा की सरकार ने देश और प्रदेश में कई विकास कार्य कराए है, जो सभी के सामने है।

कैलाश नारायण गुप्ता
भाजपा नेता

किसान हो रहे परेशान, अफसर बोले-अभी कोई डिमांड नहीं आई

संवाददाता, श्योपुर

आवदा डैम पर खेतों की सिंचाई के लिए निर्भर बने क्षेत्र के किसानों को इन दिनों पलेवा के लिए पानी की सख्त जरूरत बनी हुई है, लेकिन आवदा डैम से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस कारण क्षेत्र के किसान परेशान हो रहे हैं। उधर विभागीय अफसरों का कहना है कि अभी पानी छोड़ने की कोई डिमांड हमारे पास नहीं आई है। इसलिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। यहां बता दें कि आवदा डैम से दो दर्जन से अधिक गांवों के किसानों की कृषि भूमि सिंचित होती है। यूं तो आवदा डैम से नहरों में पानी छोड़ दिया गया था, लेकिन बारिश होने के कारण पानी के प्रवाह को बंद कर दिया गया। लेकिन अब बारिश को रुके सप्ताहभर का समय होने जा रहा है। इसलिए किसानों को अब पलेवा के लिए पानी की जरूरत महसूस हो रही है। किसानों को कहना है कि इस समय नहर में पानी आएगा, तभी खेतों में पलेवा हो सकेगा, लेकिन विभागीय अफसर आवदा डैम से नहरों में पानी का प्रवाह शुरू नहीं कर रहे हैं। इस कारण क्षेत्र के किसान परेशान बने हुए हैं।

पलेवा के लिए किसानों को आवदा नहर से नहीं छोड़ा जा रहा पानी

इस समय क्षेत्र के किसानों को पलेवा के लिए पानी की सख्त जरूरत है। पानी छोड़ने में देरी के कारण गेहूं की बोवनी पिछड़ सकती है। इसलिए आवदा डैम से नहरों में पानी का प्रवाह जल्द शुरू किया जाए।

नरेन्द्र शर्मा, किसान बंधाली

अभी पानी की कोई डिमांड नहीं आई है। इसलिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जब किसानों की ओर से डिमांड आएगी, तब डैम से पानी का प्रवाह शुरू करवा देंगे।

प्रमोद मिश्रा
एसडीओ, आवदा

मध्यप्रदेश में योजना के फायदे और आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कृषक जीवन से किसानों का होगा 'कल्याण'

संवाददाता। भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि परिवार के मुख्य सदस्य की दुर्घटना या मृत्यु हो जाने से परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक तरफ जहां अपने सदस्य के साथ होने वाली दुर्घटना अथवा मृत्यु का दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ परिवार के गुजर-बसर और आर्थिक समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के परिवार की इन समस्याओं को देखते हुए इसका गठन किया है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए, सिंचाई जैसे सिंचाई कार्य के लिए कुआं खोदते हुए, ट्यूबवेल स्थापित करते हुए अथवा ट्यूबल संचालित करते समय बिजली करंट लगने से, खेत में गुजरने वाली विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से, खेतों में फसलों फल सब्जियों पर रासायनिक दवाई छिड़काव करते समय, मंडी प्रांगण अथवा मंडी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत केन्द्रों पर जाते समय, मंडी परिसर में ट्रैक्टर ट्राली पलटने अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही कृषि उपज के लिए खेत में आते जाते समय, मशीन अथवा अन्य किसी प्रकार के चित्रों का उपयोग करते समय लड़ाई लड़ाई अथवा कृषि फसलों की रखवाली करते समय होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अंग भंग होने पर अथवा मृत्यु होने पर भी इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के लिए पात्रता

योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के स्थाई नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को कृषक किसान होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को आवेदन घटी दुर्घटना होने के 90 दिनों के अंदर करना होगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की अन्य लाभ योजना का लाभ प्राप्त कर रहे व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा। जब व्यक्ति की मृत्यु अथवा दुर्घटना ऊपर बताई गई कृषि संबंधित कारणों के दौरान हुई हो। इस योजना का लाभ केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को ही प्रदान किया जाएगा।

मिलने वाली धनराशि

मृत्यु पर 4,00,000 रुपए, अपंगता पर 1,00,000 रुपए, आंशिक अपंगता पर 50,000 और अंत्येष्टि के लिए 4,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत पहले जहां किसानों को के परिवारों को मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु होने पर 100000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। वही अब यह राशि बढ़ाकर चार लाख कर दी गई है। इसके साथ ही स्थाई अपंगता होने स्थाई अपंगता होने पर 100000 रुपए आंशिक अपंगता होने पर 50000 और अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में 4000 रुपए का प्रावधान किया गया है।

आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दस्तावेज होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट भी होना आवश्यक है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है।

ऑनलाइन आवेदन

आवेदन करने के लिए आसान से स्टेप्स को फॉलो करें आवेदन कर सकते हैं। योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आप चाहें तो यहां क्लिक करके डायरेक्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात आपको मध्यप्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक आवेदन फार्म ओपन होकर आएगा। जिसमें आपको आवश्यक जानकारी भरने के पश्चात आवेदन फार्म सबमिट करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

सरकार द्वारा चलाई जा रही मध्य प्रदेश कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पहले आपको एक आवेदन फार्म लेना होगा। आप चाहें तो यहां डायरेक्ट के आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात इसमें पूंछी गई सभी आवश्यक जानकारी आपको सही-सही भरना होगा। आवश्यक जानकारी भरने के साथ ही आपको और स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी संलग्न करना होगा। पूर्ण रूप से सही सही भरा हुआ फार्म लेकर आपको संबंधित विभाग में जमा करना होगा। जिसके पश्चात आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करने की योजना है जिसके अंतर्गत किसानों को लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अगर राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता लाभ

खाद के साथ किसानों को मिल रहा एक लाख का दुर्घटना बीमा

संवाददाता। भोपाल

किसानों को खाद खरीदने पर मुफ्त बीमा का लाभ मिलता है। लेकिन देश के लाखों किसानों को इसकी जानकारी हीनहीं है। इस कारण वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। दरअसल, किसानों को खाद बेचने वाली कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एक दुर्घटना बीमा स्कीम चलाती है। कंपनी ने इस स्कीम का नाम खाद तो खाद बीमा भी साथ स्कीम रखा है। कंपनी फर्टिलाइजर के प्रत्येक कट्टे पर 4 हजार रुपए का बीमा देती है। एक किसान अधिकतम 25 कट्टे खरीदकर के एक लाख रुपए का बीमा ले सकता है। इस इंश्योरेंस प्रीमियम का पूरा भुगतान इफको द्वारा किया जाता है।

कैसे ट्रांसफर होती है रकम

उर्वरक के कट्टों पर मिलने वाले दुर्घटना बीमा के तहत एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर प्रभावित परिजनों को एक लाख का भुगतान किया जाता है। बीमे की यह राशि प्रभावित परिवार के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। दुर्घटना में दो अंग क्षतिग्रस्त होने पर 2,000 रुपए/कट्टा के हिसाब से अधिकतम 50,000 रुपए बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। एक अंग क्षतिग्रस्त होने की दशा में 1,000 रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से बीमा कवरेज दिया जाता है।

इस तरह करें दावा

दुर्घटना बीमा का दावा करने के लिए प्रभावित किसान के पास उर्वरक खरीद की रसीद होनी चाहिए। किसान के पास जितने कट्टों की रसीद होगी, उसी हिसाब से बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर बीमा का दावा करने के लिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और पंचनामा होना चाहिए। अंगभंग होने की दशा में एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए।

जानकारी का अभाव

जागरूकता के अभाव में किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इफ्को किसान सुरक्षा के तहत कंपनी डीएपी, एनपीके, यूरिया खाद खरीदने पर हर बोरी पर किसानों का बीमा करती है। इसके लिए इफ्को ने टोकियो जनरल बीमा कंपनी से समझौता किया है। इस बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कंपनी गोष्ठियों और किसान सम्मेलनों का भी आयोजन करती है। खाद की बोरी पर कंपनी ने खाद तो खाद है बीमा भी साथ का स्लोगन लिखा होता है।

समझौते से बढ़ेंगे जबलपुर वेटरनरी विवि में पशु शोध

विद्यार्थियों और पशु वैज्ञानिक युक्रेन में करेंगे नई खोज

जबलपुर। वेटरनरी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वेटरनरी विवि और युक्रेन के बीच एमओयू साइन किया गया। इस समझौते के बाद जबलपुर वेटरनरी विवि के विद्यार्थी और पशु वैज्ञानियों को युक्रेन में जाकर शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा तो वहीं वहां के शोधार्थी यहां आकर अनुसंधान कर सकेंगे। वेटरनरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूक्रेन के राजदूत समझौते के तहत फिशरी कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। विवि के कुलपति डॉ. सौता प्रसाद तिवारी ने उन्हें विवि के फिशरी कॉलेज से लेकर सभी फार्म और हॉस्पिटल का निरीक्षण कराया। कुलपति ने बताया कि विवि एवं यूक्रेन की मदद से पशु शोध में बढ़ावा मिलेगा। इंडिया सीआईएस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से विवि में संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

अतिथि से हुए सवाल जवाब

डॉ. राजीव चौधरी, उपाध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमरी एंड इंडस्ट्री ने अपनी बात रखी। मत्स्य पालन विभाग के निदेशक जीओवी रवि बिनू कुमार एवं कुलपति ने संबंधित विषयों पर अपनी बात रखी। विवि के सभी विभागाध्यक्षों ने अतिथि से सवाल-जवाब किए। टीम ने मत्स्य कॉलेज जबलपुर के कक्ष में आयोजित संगोष्ठी में भाग लेकर भविष्य की योजना और चुनौती पर अपनी बात रखी।

यह रहे मौजूद

इस अवसर पर कुलसचिव डॉ. एसके जोशी, डॉ. एपी गौतम संयुक्त संचालक, डॉ. राजेश शर्मा अधिष्ठाता वेटरनरी कॉलेज जबलपुर डॉ. मधु स्वामी, संचालक अनुसंधान सेवाएं, डॉ. सुनील नायक संचालक विस्तार शिक्षा, डॉ. जी दास, परीक्षा नियंत्रक डॉ. आदित्य मिश्रा मौजूद रहे।

इस अवसर पर कुलपति ने यूक्रेन के राजदूत एचई मिस्टर लेयो पोलिखा, डॉ. ज्योत्सना दुबे चौधरी, अध्यक्ष इंडिया सीआईएस डॉ. आर के जैन पूर्व अध्यक्ष, इंडिया को सम्मानित किया गया।

घोटाले उजागर होने के बाद प्रदेश सरकार ने लिया निर्णय

अब सहकारी बैंकों में होगी सीईओ की तैनाती

प्रदेश के 18 बैंकों में की जाएगी नियुक्ति

विशेष संवाददाता। भोपाल

मध्य प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में पहली बार मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की सीधे नियुक्ति होगी। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन किया जा चुका है। अब बैंकों के लिए भर्ती करने वाली बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) से प्रक्रिया कराई जाएगी। अपेक्स बैंक ने इसका प्रस्ताव भेज दिया है। इसके माध्यम से 18 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। चयन के लिए वही व्यक्ति पात्र होंगे, जिन्हें बैंकिंग के क्षेत्र में कम से कम आठ साल का अनुभव होना अनिवार्य है। अभी तक सहकारिता संवर्ग के अधिकारियों को पदस्थ किया जाता था लेकिन बैंकों में जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए सरकार ने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रदेश में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के माध्यम से सरकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से किसानों को अल्पावधि ऋण दिलाने का काम करती है।

बिना ब्याज किसानों को ऋण

प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक ऋण 30 लाख से ज्यादा किसानों को बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाता है। उधर, बैंकों में अनियमितताओं की कई शिकायतें सामने आई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, देवास सहित अन्य बैंकों में करोड़ों रुपए की अनियमितता सामने आने पर कार्रवाई भी की गई है। दरअसल, सहकारी बैंकों में बैंकिंग संबंधी नियमों को पूरी तरह पालन नहीं होने की वजह से यह अनियमितताएं हुई हैं।

लापरवाहों पर गिरेगी गाज

बैंकों के सीईओ की प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। अब सहकारिता विभाग ने व्यवस्था में सुधार के लिए बैंकिंग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुरानी भर्ती प्रक्रिया को भी निरस्त कर दिया है। इसमें भी गड़बड़ी की बात सामने आई थी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 38 में से 18 बैंकों में सीईओ नियुक्त किए जाएंगे। ये बैंकिंग क्षेत्र में कम से कम आठ साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे।

कोलारस में घोटाला उजागर

शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोलारस शाखा में गबन और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। सहकारिता विभाग द्वारा कराए गए आडिट में लगभग सौ करोड़ रुपए से भी अधिक की गड़बड़ी पाई गई है। इसमें शाखा के अधिकारियों ने मिलीभगत करके गबन किया। इसके आधार पर अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और विभागीय जांच की कार्रवाई की गई है।

अरबों का किसानों के नाम फर्जी ऋण आया सामने

सहकारी बैंकों में गड़बड़ी के मामले लंबे समय से सामने आ रहे हैं। रीवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की डाभौरा शाखा में 16 करोड़, सीधा सहकारी केंद्रीय बैंक में ट्रैक्टर फायनेंस में अनियमितता,छतरपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की राजनगर शाखा में तीन करोड़ रुपए, मंदसौर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 12 करोड़, होशंगाबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में दो करोड़, शहडोल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की अनियमितता के मामले उजागर हो चुके हैं। धान और गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में 17 करोड़ रुपए की गड़बड़ी जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, सीधी और शहडोल बैंक में सामने आ चुकी है। बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने तो किसानों के खातों से राशि काटकर उन्हें एक मासिक पत्रिका का सदस्य तक बना दिया था।

सिवनी का सीताफल बनाएगा आत्मनिर्भर

छपारा में महादेव आजीविका ग्राम संगठन की पहल, महिलाओं ने शुरू की सीताफल प्रसंस्करण इकाई

सिवनी। सीताफल की मिठास महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी। एक जिला एक उत्पाद में जिले के सीताफल का चयन किया गया है। इसमें सशक्त स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आत्मनिर्भर मप्र का सपना साकार करने का प्रयास कर रही हैं। जिले के छपारा में महादेव महिला आजीविका ग्राम संगठन खैरमाटाकोल (भूतबंधानी) के 11 स्व-सहायता समूह की 35 महिलाओं ने सीताफल प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। इसमें सीताफल प्रसंस्करण कार्य करते हुए पल्प (पेस्ट) बनाकर बर्फीकरण करके फ्रिजर में संरक्षित किया जा रहा है। इसे बेचने के लिए नागपुर, जबलपुर के आइसक्रीम व खाद्य व्यापारियों को खाद्य सामग्री में उपयोग के लिए बेचा जा रहा है।

छिलका व बीज भी फायदेमंद| समूह की महिलाओं ने बताया है कि सीताफल का पल्प तो आमदानी का साधन बनेगा ही, वहीं इसके छिलके व बीज भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। सीताफल के छिलके को एक टांका में एकत्र कर जैविक खाद तैयार की जाएगी। वहीं सीताफल के बीज का उपयोग कॉस्मेटिक वस्तुओं में किया जाता है। आजीविका मिशन इसके लिए महानगरों की कंपनियों से संपर्क कर रहा है।

मशीन उपयोगी| महिलाओं ने बताया है कि आजीविका मिशन से उन्हें दो फ्रीजर व एक पल्प निकालने की मशीन मिली हैं। इस मशीन में सीताफल के छिलके को अलग कर डाला जाता है। इसके बाद सीताफल का पल्प व बीज अलग अलग हो जाते हैं। पल्प को पैकेट में भरकर फ्रीजर में संरक्षित रख दिया जाता है।

महिलाएं करेंगी प्रगति| पल्प का उपयोग आइसक्रीम व हेल्थ पाउडर के लिए होता है। अभी उन्हें करीब डेढ़ सौ किलो पल का आर्डर मिला है। इससे समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

सीताफल प्रसंस्करण इकाई का संचालन कर समूह की 35 महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अजीविका मिशन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने इकाई शुरू की है। समूह द्वारा तैयार किए गए पल्प के लिए महाराष्ट्र, नागपुर, जबलपुर व अन्य महानगरों में बाजार तैयार किए जा रहे हैं, ताकि महिलाओं के उत्पाद अच्छे दामों में बिक सके।

पार्थ जायसवाल, सीईओ, जिला पंचायत, सिवनी

सीताफल प्रसंस्करण इकाई सीताफल के सीजन के अंतिम दिनों में शुरू हुई है। समूह की महिलाओं ने करीब डेढ़ सौ कैरेट सीताफल खरीदा था। इनका प्रसंस्करण कर 40 किलो पल्प तैयार कर फ्रीजर में संरक्षित रखा गया है। 20 किलो छोटे आकार के सीताफल में चार किलो पल्प तैयार हुआ है। ये पल्प कभी खराब नहीं होता है।

संतोषी वर्मा,अध्यक्ष, महिला समूह

लार्ज ओक ब्लू और पेंटेड लेडी पातालकोट जंगल में दिखीं

छिंदवाड़ा में मिलीं दुर्लभ तितलियां

बढ़ा कुनबा: पहले कान्हा नेशनल पार्क में स्पॉट हुईं थी

संवाददाता। छिंदवाड़ा

पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के तामिया, पातालकोट, देलाखारी और छिंदी के जंगलों में दुर्लभ प्रजाति की लार्ज ओक ब्लू और पेंटेड लेडी तितलियां पहली बार दिखाई दी। इससे पहले यह तितलियां पिछले दिनों कान्हा नेशनल पार्क के जंगलों में मिली थी। वन विभाग ने दो दिन में 55 प्रकार की प्रजातियों का सर्वेक्षण किया था। ऐसे में तामिया और अन्य वन परिक्षेत्रों में पाई गई इन तितलियों में से पहली बार दो दुर्लभ प्रकार की तितलियों की प्रजाति इन परिक्षेत्रों में मिली हैं। 20 से 23 नवंबर तक चले इस सर्वेक्षण में मुख्य रूप से यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के 12 वालंटियर और वन कर्मियों ने दुर्गम क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जहा लार्ज ओकब्लू और पेंटेंड लेडी प्रजाति की तितलियां पहली बार मिली हैं।

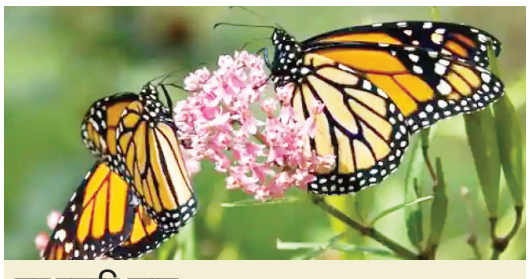

यह प्रजाति खास

लार्ज ओकब्लू-अरोपला अर्मेटेस, बड़ा ओकब्लू एशिया में पाए जाने वाले लाइकेनाइड या नीले तितली की एक प्रजाति है। अरोपला अर्मेटेस सबसे बड़ा लाइकेनाइड है।ह अपने अपरसाइड पर शानदार धात्विक नीले निशान के बावजूद विंग पर आश्चर्यजनक रूप से असंगत है। इसका वैज्ञानिक नाम अरोपला अर्मेटेस है। पेंटेड लेडी-वैनेसा कार्डडुई सभी तितली प्रजातियों में सबसे व्यापक है। इसे आमतौर पर चित्रित महिला कहा जाता है। पूर्व में उत्तरी अमेरिका में महानगरीय कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम वैनेसा कार्डडुई है।

इन स्थानों पर हुआ सर्वे

तामिया के डैम, राजाखोह, ग्वालगढ़ पहाड़ी तथा झिंगरिया नेचर ट्रेल सहित कुल नौ ट्रेल्स पर दो दिनों तक सर्वेक्षण चला है। इस दौरान कुछ दुर्लभ प्रजातियों को भी देखा गया है।

अच्छा संकेत

इन तितलियों के छिंदवाड़ा के जंगलों में दिखाई देने पर कहा जा सकता है कि यह अच्छा संकेत है कि पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व के अंर्तगत आने तामिया पातालकोट संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी कम हो रहा है। तितलियों का जीवन चक्र औसतन 45 दिन का होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन दुर्लभ तितलियों का मिलना जिले के जंगलों के लिए अच्छा संकेत है।

लेमन फैंसी-तितलियां आम तौर पर सभी जगह आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन तामिया पातालकोट संबंधित क्षेत्र में दो दिन के सर्वे में कुल 55 प्रजाति की तितलियां मिली हैं। इस सर्वे में पहली बार लॉर्ज ओकब्लू एवम पेंटेड लेडी प्रजाति की तितलियां दिखाई दी हैं।

ईश्वर जरांडे, डीएफओ, पश्चिम वन मंडल

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)